



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दुसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट -विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:mel-ro.raipur.ibm@gmail.com)

No- CHG/DRG/LST/30CHG03002

दिनांक -18/12/2020

प्रेषित- श्री सुशील कुमार वाली नोमीनटेड ओनर  
सर्वश्री जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड,  
पोस्ट – अहिरवारा, तहसील – धमधा,  
जिला.दुर्ग (छत्तीसगढ़) – 490036

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले मे स्थित आपकी सेमरिया चूना पत्थर खदान 252.105 हे. मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 11.12.2020 by undersigned accompanied by Shri B.L.Bhati, Sr.GM(Mines), Shri Dinesh Kumar, Mines Manager & Shri Sanjay Arora, Geologist.

Rule	Nature of Violation observed
11(1)	Mining operations should have been undertaken in accordance with the approved Mining Plan. The Modified Mining Plan was approved vide letter no. दुर्ग / चूप /खयो/1156/2016-रायपुर dated 17.07.2018 and following deviation was observed during inspection 1. It was proposed to explore 28 bore holes in 2019-20 of total meterage of 980 m but no bore holes neither drilled nor reported. 2. The proposal in 2019-20 is given to work in three benches, top bench 275-268 OB bench and two benches ore from 268-262 and 262-253 but during visit it was observed that working is done in haphazard manner and no sequence of benching, floor and faces are also not in systematic manner.

- 2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उलंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उलंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत  
(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उलंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर